(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

जिला सीधी

प्रकरण कमांक निगरानी 455–तीन/2015

सत्यदेवसिंह पिता स्व0 सुदर्शन प्रसाद गुप्ता
निवासी वार्ड नंबर 13, रामपुर नैकिन जिला सीधी ———आवेदक

विरूद्ध

1. अल्का देवी पति स्व0 शंकरेश्वर सिंह
   निवासी ग्राम व पोस्ट रामपुर नैकिन जिला सीधी
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर सीधी ————अनावेदकगण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 44/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 15–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ निगरानी मेमो का संक्षिप्त विवरण एवं आवेदक अभिभाषक श्री विकास मिश्रा के तर्क इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 अल्का देवी की ओर से ग्राम राखोर की आराजी खसरा कमांक 1223/1 रकवा 0.150 हे0 के सीमांकन बावत आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पटवारी द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की गई तथा राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 15–10–2014 को सीमांकन की पुष्टि की। राजस्व निरीक्षक ने बिना सरहदी कास्तकारों को सूचना सीमांकन की पुष्टि की है तथा सीमांकन में आवेदक की भूमि को अनावेदक की भूमि के आगे पतली पट्टी दर्शा दी गई जिससे आवेदक के हित प्रभावित हो रहे हैं। राजस्व निरीक्षक	

के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। निगरानी प्रकरण में अधीनस्थ तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिका एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश, सूचना पत्र एवं पंचनामा की सत्यप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन संबंधी सूचना पत्र पर आवेदक सत्यदेव पिता रामदुलारे गुप्ता के हस्ताक्षर बने हैं, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को सीमांकन की जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने सीमांकन एवं आदेश पारित करने के पूर्व किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने से राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन की पुष्टि की है। अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की पुष्टि करने में किसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं की है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य